



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033



क्रमांक 61(272) प्रावि/सा.अंके/निर्देश/2023-24 / 447

दिनांक 10/05/2023

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक, (महात्मा गांधी नरेगा योजना)
समस्त, राजस्थान

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की प्रथम छमाही एवं
द्वितीय छमाही के सामाजिक अंकेक्षण माह मई 2023 से जनवरी 2024 के
कार्यक्रम बाबत विस्तृत दिशा निर्देश ।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 एवं महात्मा
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के
अनुसार शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में
सोसायटी द्वारा आयोजित आवासीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित प्रतिभागियों एवं जिला
स्तर पर चयनित नवीन ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों से ग्राम पंचायत की अधिकारिता के
भीतर महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत
मिशन (ग्रामीण) (शौचालयों का), मिड डे मील योजना (विद्यालयों का) तथा 15 वें वित्त
आयोग योजनान्तर्गत समस्त कार्य एवं व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य का संलग्न कलैण्डर
अनुसार वर्ष 2022-23 की प्रथम छमाही की अवशेष 1360 ग्राम पंचायतों एवं द्वितीय
छमाही की 11250 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण माह मई 2023 से जनवरी 2024
की अवधि में सामाजिक अंकेक्षण निम्नानुसार सम्पादित किया जाना है:-

1. सामाजिक अंकेक्षण की समय सारणी:-

क्र.सं.	सामाजिक अंकेक्षण दिनांक	सामाजिक अंकेक्षण अवधि	जिलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम सभा की दिनांक	दीवार लेखन एवं रिकार्ड उपलब्ध कराने का दिनांक
1	24.05.2023 से 30.05.2023	7	33	1056	31.05.2023	10.05.2023 तक
2	19.06.2023 से 25.06.2023	7	33	1408	26.06.2023	03.06.2023 तक
3	12.07.2023 से 18.07.2023	7	33	1408	19.07.2023	26.06.2023 तक
4	17.08.2023 से 23.08.2023	7	33	1408	24.08.2023	01.08.2023 तक
5	11.09.2023 से 16.09.2023	6	33	1408	17.09.2023	26.08.2023 तक
6	09.10.2023 से 14.10.2023	6	33	1408	15.10.2023	23.09.2023 तक
7	21.11.2023 से 26.11.2023	6	33	1408	27.11.2023	05.11.2023 तक
8	11.12.2023 से 16.12.2023	6	33	1408	17.12.2023	25.11.2023 तक
9	08.01.2024 से 13.01.2024	6	33	338	14.01.2024	12.01.2023 तक
	कुल योग			11250		

D/calender latter

RajKaj Ref No. : 3633173

Signature valid

Digitally signed by Manu Rajpal
Designation: Secretary To

Government
Date: 2023.05.10 17:41:03 IST
Reason: Approved



02. **कलैण्डर :-** राज्य के जिलों की चयनित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की प्रथम छमाही एवं द्वितीय छमाही का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम एवं ग्राम सभा का आयोजन बिन्दु संख्या 1 में अंकित दिनांक को करवाया जाना है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा आपके जिले के लिए कलैण्डर अलग से जारी किया जा रहा है।

जिलों में सामाजिक अंकेक्षण समिति (एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति + 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति) द्वारा नरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण कार्य चार दिवस में पूर्ण किया जायेगा तथा पाँचवें दिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) छठे दिन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शौचालयों का तथा मिड डे मील योजना (विद्यालयों का) तथा सातवें दिन 15 वें वित्त आयोग के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा तथा आठवें दिवस को ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा।

यदि किसी कारणवश किसी माह के दौरान किसी ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी इसकी सूचना मय कारण स्पष्ट करते हुये निदेशक SSAAT को शीघ्र प्रेषित करेंगे, ताकि उस ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण आगामी माह के सामाजिक अंकेक्षण के साथ करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र की कोई ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण से वंचित नहीं रहे।

03 **सामाजिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण दलों का चयन व गठन:-** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के अनुसार एवं सोसायटी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार सामाजिक अंकेक्षण दल में एक ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति तथा 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति होंगे। वर्तमान में सभी जिलों में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। अतः वर्ष 2022-23 में सोसायटी द्वारा प्रशिक्षित ब्लॉक संसाधन व्यक्ति ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नियोजित किये जायें, जब तक की नवीन नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है। सोसायटी द्वारा जारी कलैण्डर में जांच दल प्रभारी (ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) का नाम अंकित किया गया है। अतः विकास अधिकारी पंचायत समिति उक्त कलैण्डर अनुसार जांच दल प्रभारी के अधीन 05 ग्राम संसाधन व्यक्ति के नाम शामिल कर जांच दल का गठन करें तथा जांच दल गठन आदेश की प्रति सोसायटी (SSAAT) की ई-मेल डी dir.socialaudit@rajasthan.gov.in पर भिजवायें। ग्राम संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक अंकेक्षण दल में लगाये जाने का आदेश कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सम्बन्धित द्वारा जारी किया जायेगा। संसाधन व्यक्ति उस ग्राम पंचायत के व्यक्ति नहीं होंगे जिसका सामाजिक अंकेक्षण उनके द्वारा किया जावेगा।

ग्राम संसाधन व्यक्तियों में राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में से एक सदस्य, महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत साधिनो, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों, स्वच्छताग्रहियों, लाभार्थी परिवार के सदस्यों (नरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण)/आजीविका विहीन इंजीनियरिंग स्नातक तथा SSAAT द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से एक-एक इच्छुक सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम संसाधन व्यक्ति के पद पर ब्लॉक स्तर पर चयन किया जावेगा। माह फरवरी 2023 में जिन ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावे।

D /calender latter

Raj/Kaj Ref No. : 3633173

Signature valid

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.05.10 17:41:03 IST
Reason: Approved



04 सामाजिक अंकेक्षण समिति को ग्राम पंचायत एवं लाइन विभागों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना :- बिन्दु सं० 1 में उल्लिखित अवधि में ग्राम पंचायत एवं लाइन विभागों सहित अन्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कराए गए समस्त कार्यों से संबंधित कार्यवार पत्रावलियां, सूचनाएं एवं अन्य समस्त रिकॉर्ड यथा प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, बिल-वाउचर्स, मस्टर रोल, माप पुस्तिकाएं (MBs), लेखा पुस्तकें, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, जॉब कार्ड्स, नरेगा रजिस्टर सं. 1 से 7, निविदा पत्रावलियां आदि एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों से संबंधित समस्त सूचनाएं नियमानुसार कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण समिति को सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। 15 दिवस पूर्व समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने के लिए कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। समस्त ग्राम विकास अधिकारी तथा कनिष्ठ सहायक संबंधित पंचायत में क्रियान्वित हो रहे समस्त कार्य से संबंधित समस्त अभिलेख सामाजिक अंकेक्षण दल को पर्याप्त संख्या में सत्यापित प्रतियों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिस भी कार्मिक द्वारा अभिलेख अथवा सत्यापित प्रतिलिपियां निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, उसे कारण बताओं नोटिस जारी किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर ऐसे दोषी व्यक्ति को निलम्बित करके अन्य कार्मिक को दायित्व दिया जावेगा। विकास अधिकारी समस्त रिकॉर्ड सामाजिक अंकेक्षण दलों को अनिवार्य रूप से 15 दिवस पूर्व बिन्दु संख्या 1 में अंकित दिनांक तक दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के संरक्ष एवं ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति में ही प्राप्त किया जावे।

किसी विशेष परिस्थिति के कारण ऑफ लाइन रिकॉर्ड उपलब्ध न कराये जाने पर विकास अधिकारियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल के प्रभारी अधिकारी को नरेगा की वेबसाइट से ऑन लाइन रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित किया जाए। रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की सूचना सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर, के कन्ट्रोल रूम को आवश्यक रूप से दी जावे।

05 सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा रिकॉर्ड की जांच एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करना :- सामाजिक अंकेक्षण समिति में कुल 6 सदस्य होंगे जिनमें एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व में 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति सम्मिलित होंगे। जो उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे जिसका सामाजिक अंकेक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत, लाइन विभागों एवं अन्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत एवं अन्य विभिन्न योजनाओं में करवाए गए एवं करवाए जा रहे कार्यों के समस्त रिकॉर्ड एवं पत्रावलियों की जांच की जाएगी एवं समस्त निर्माण कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन कर रिकॉर्ड/माप पुस्तिका (एम.बी.) से मिलान कर अन्तर को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वॉल पेन्टिंग्स, मस्टर रोल, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, रोकड़ बही, बिल/वाउचर्स, जॉब कार्ड्स, नरेगा रजिस्टर संख्या 1 से 7 एवं निविदा पत्रावलियों की जांच तथा मजदूरी भुगतान का प्रत्येक मजदूर से (door to door) सत्यापन किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा मौके व रिकॉर्ड के अनुसार जांच के निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अंकेक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जावेगी। इस रिपोर्ट पर ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे।

रिपोर्ट ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी एवं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में इसे पढ़कर सुनाया जावेगा। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को एक प्रतिलिपि विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव को प्रति देकर पावती प्राप्त की जावेगी।

D/calender latter
RajKaj Ref No. : 3633173

Signature valid
Digitally signed by Manju Rajpal
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.05.10 17:41:03 IST
Reason: Approved



06 सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन :- सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के आयोजन ग्राम पंचायत भवन या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित किसी ऐसे खुले पर्याप्त स्थान उपलब्धता वाले सार्वजनिक स्थान पर किया जाए जहाँ ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं के कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान हो। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में तीन दिवस में पुनः व्यापक प्रचार-प्रसार कर ग्राम सभा का आयोजन किया जावे। ग्राम सभा आयोजन स्थल पर सदस्यों के लिए माईक टेंट, छाया, पीने के पानी मास्क एवं सैनेटाइजर आदि की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम सभा की वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की जावे। ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा तैयार की गई सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट एवं जांच के निष्कर्ष सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा पढ़कर सुनाए जाएंगे। ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम रोजगार सहायक/प्रभारी अधिकारी/कार्यवाही लिखने वाले उत्तरदायी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर ग्राम सभा सदस्यों की प्रतिक्रिया, शिकायतें एवं आपत्तियों को सम्मिलित करते हुए अनुमोदिन नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र संख्या 9 में ग्राम सभा कार्यवाही विवरण अभिलिखित किया जावे तथा उस पर ग्राम सभा में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों (नागरिकों एवं उपस्थित अधिकारी, कर्मचारीगण) के हस्ताक्षर करवाए जावें।

07 सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का प्रचार-प्रसार :- सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के कलैण्डर जारी होने के बाद ग्राम सभा का परम्परागत एवं आधुनिक तरीकों से- यथा यूट्यूब विडियो, व्हाट्स ऐप ग्रुपों से, ई-मेल/एसएमएस भिजवाकर एवं जिला परिषद स्तर पर पैम्पलेट छपवा कर ग्राम सभा आयोजन का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।

08 ग्राम सभा हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति :- प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा हेतु जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ब्लॉक स्तर के राजपत्रित अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जावे तथा उन्हें सामाजिक अंकेक्षण संबंधी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की प्रतियां पूर्व में ही उपलब्ध कराकर सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जावे। प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति की सूचना SSAAT मुख्यालय की ईमेल आईडी पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ही प्रभारी अधिकारी नवीन निर्धारित प्रपत्र संख्या 8,9,10,11 में उल्लिखित बिन्दुओं की पूर्ण मॉनिटरिंग करेंगे।

महालेखाकार राजस्थान कार्यालय द्वारा भी अपेक्षित है कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त कर उनकी सूचना निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

09 दीवार लेखन की कार्यवाही:- महात्मा गांधी नरेगा योजना, मिड-डे-मील योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 15वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की प्रथम छमाही एवं द्वितीय छमाही में हुए कार्यों में पारदर्शिता के तहत आम जनता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु दीवार लेखन (Wall Painting) का कार्य करवाने हेतु शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 61 (64) SSAAT/कलैण्डर/2020-21 /9070 दिनांक 29.07.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना बिन्दु संख्या 1 में अंकित दिनांक तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

10 सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स अपलोड करना :- नियुक्त सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को ब्लॉक संसाधन एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की मासिक रिपोर्ट में प्रस्तुत करने के पश्चात आगामी दिवस को अतिरिक्त नरेगा

D /calender latter

RajKaj Ref No. : 3633173

Signature valid

Government
Date: 2023.05.10 17:41:03 IST
Reason: Approved



सॉफ्ट (NREGA SOFT) पर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति द्वारा अथवा सामाजिक अंकेक्षण दल के ग्राम संसाधन व्यक्ति द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की आई.डी. से रिपोर्ट अपलोड कर सकेगा। पंचायत समिति के लेखा सहायक एवं एम.आई.एस मैनेजर का यह दायित्व होगा कि वह सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित समय में नरेगा साफ्ट पर अपलोड करवाने में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को सहयोग करेगा। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट अपलोड किये जाने में कोई तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो सोसायटी के प्रोग्रामर श्री विजय सिंह के मोबाईल नम्बर 97848-23386 पर सम्पर्क कर सकते हैं। अपलोड की सूचना को सोसायटी (SSAAT) को अविलम्ब प्रेषित किया जाये।

अन्य योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मिड-डे-मील योजना की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट योजना के निर्धारित लिंक पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराये।

योजना का नाम	लिंक का विवरण
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	https://forms.gle/rT6X3bqCbfaTE2R7
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	https://forms.gle/5r7rkWEJdL1FaGL2A
मिड-डे-मील योजना	https://forms.gle/T8y1KRfKLI9TNVZqZ
15 वां वित्त आयोग	https://forms.gle/KJ7XcDDT2J7NKwxL8

- सामाजिक अंकेक्षण दल को सामाजिक अंकेक्षण के दौरान वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर अंकेक्षण रिपोर्ट के निर्धारित प्रपत्र में जॉब कार्ड नम्बर, वर्क कोड, मरटररोल नम्बर व कार्य का नाम आदि सूचनाओं का उल्लेख आवश्यक रूप से सामाजिक अंकेक्षण की सारांश टिप्पणी में करे।
- सामाजिक अंकेक्षण जाँच दल के प्रभारी ब्लॉक संसाधन व्यक्ति द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर, खाता संख्या, बैंक के एवं ब्रांच का नाम, आई.एफ.सी.कोड व मोबाईल नम्बर की सूचना कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी सम्बन्धित को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगा।
- सामाजिक अंकेक्षण जाँच दल को पंचायत भवन या सार्वजनिक भवन में ठहराना आवश्यक है। ठहराने की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।
- सामाजिक अंकेक्षण समिति (ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों) को मानदेय भुगतान :-**
ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों से दैनिक जॉब कार्य के आधार पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण समिति के ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों को पारिश्रमिक का भुगतान निम्न प्रकार किया जाएगा :-
(i) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को रु. 500/- प्रति दिवस प्रति व्यक्ति
(ii) 05 ग्राम संसाधन व्यक्तियों (जो उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं हैं) को रु. 300/- प्रति दिवस प्रति व्यक्ति

नियमित सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स नरेगा सॉफ्ट (Nrega Soft) में अपलोड करवाने तथा अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट निर्धारित लिंक पर अपलोड करवाये जाने एवं वांछित सूचनाएं सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय को ई-मेल आई.डी. Dydlr.soclaudlt@rajasthan.gov.in पर प्रेषण करने के उपरान्त ही मानदेय भुगतान किया जावेगा।

D /calender latter

RajKaj Ref No. : 3633173

Signature valid

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation : Secretary To
Government
Date: 2023.05.10 17:41:03 IST
Reason: Approved



Website - <https://www.socialaudit.rajasthan.gov.in> पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य समापन के अधिकतम 7 दिवस में अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

18. **सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स की अनुपालना :-** सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की बिन्दुवार पालना कर अनुपालना रिपोर्ट अधिकतम एक माह में ग्राम पंचायत वार, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टवार विकास अधिकारी पंचायत समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद से प्रमाणित होकर आवश्यक रूप से निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय को प्रस्तुत की जाए और प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना नरेगा साफ्ट (Nrega Soft) पर भी अपलोड करवायी जावेगी।
19. सभी अंकेक्षण दलों को पाबन्द करावे कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन यथा रिकार्ड की जांच करते हुए और मौके पर कार्यों के भौतिक सत्यापन करते हुए वहाँ उपस्थित लोगों सहित टाइम और तिथि अंकन वाली (Time-Date & Stamped Photographs) फोटोग्राफ्स और सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कोई अनियमितताएं पायी जावें तो उनके साक्ष्य यथा दस्तावेज, फोटोग्राफ, ऑडियो-विडियो या अन्य सुसंगत साक्ष्य आवश्यक रूप से संकलित करावें तथा सभी दस्तावेजात, ऑडियो-वीडियो या अन्य सुसंगत साक्ष्य यथाशीघ्र/उसी दिवस को DYDIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, की E-mail पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।
20. **जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना-** सामाजिक अंकेक्षण के सुचारु रूप से संचालन हेतु जिला स्तर पर शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ61(64) ग्रावि/सा.अके/9259 दिनांक 17.08.2022 की पालना में कंट्रोल रूम की स्थापना सम्बन्धित माह की आडिट दिनांक से 7 दिवस पूर्व से ग्राम सभा आयोजन दिनांक तक सुनिश्चित करावें। जिसकी सूचना सोसायटी (SSAAT) के कंट्रोल रूम को दी जाए।
21. सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका 2012 में अंकित प्रपत्र संख्या 8,9,10,11 को वर्तमान परिपेक्ष्य में नवीन संशोधित प्रपत्रों को अनुमोदित किया जा चुका है।

अतः नवीन संशोधित प्रपत्रों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1.	ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा तैयार किये जाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट	नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र-8
2.	सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण- ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।	नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र-9
3.	सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा के पर्यवेक्षक/प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट मय सांराश रिपोर्ट	नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र-10
4.	सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट नरेगा साफ्ट पर अपलोड किया जाने वाला प्रपत्र	नवीन संशोधित निर्धारित प्रपत्र-11
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	निर्धारित प्रपत्र
6.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	निर्धारित प्रपत्र
7.	मिड डे मील योजना	निर्धारित प्रपत्र
8.	15वें वित्त आयोग	निर्धारित प्रपत्र

Signature valid

Digitally signed by Manju Rajpal
Designation: Secretary To
Government
Date: 2023.05.10 17:41:03 IST
Reason: Approved

D /calender latter
RajKaj Ref No. : 3633173



संसाधन व्यक्तियों (एक ब्लॉक तथा 5 ग्राम संसाधन व्यक्तियों) को नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण अवधि 5 दिवस ग्राम सभा दिवस को शामिल करते हुये मानदेय का भुगतान नरेगा योजना के मद से किया जायेगा।

अन्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सामाजिक अंकेक्षण के लिये 01 दिवस, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (शौचालयों का) तथा मिड-डे-मील योजना (विद्यालयों का) के सामाजिक अंकेक्षण के लिये 1 दिवस का तथा 15 ट्रेन वित्त आयोग के कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के लिये 1 दिवस के मानदेय (माह मई 2023 से अगस्त 2023 तक) का भुगतान सोसायटी द्वारा सम्बन्धित योजना मद में हस्तान्तरित बजट राशि से ही किया जावेगा।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F61(1)SSAAT/Bank Account/2021-21/2391 दिनांक 26.03.2021 एवं आदेश क्रमांक 2462 दिनांक 31.03.2021 (आदेश संख्या 31/2021) एवं विभिन्न आदेशों द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। तदनुसार राजस्थान पेमेन्ट प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ई-पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से उक्त भुगतान कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के पूर्व बकाया मानदेय का भुगतान समय पर कराया जाना सुनिश्चित करावे।

15. पारदर्शी एवं प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही तथा ग्राम सभाओं के सफल आयोजन हेतु वर्तमान एवं भूतपूर्व जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

16. ग्राम सभा कार्यवाही लिखने के संबंध में:- ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम रोजगार सहायक/कार्यवाही लिखने हेतु उत्तरदायी सर्वस्त कार्मिकों को भी सख्ती से पाबंद किया जावे कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में चर्चा के दौरान यदि कम भुगतान, देरी से भुगतान होना, कार्यों पर मस्टर रोल में गलत मजदूरों का नाम दर्ज होना, मशीनों का उपयोग होना, जाँब कार्ड संबंधी अनियमितता, कार्य की गुणवत्ता अथवा अन्य कोई शिकायत/आपत्ति उठाई जाए तो उसको आवश्यक रूप से कार्यवाही विवरण में रिकॉर्ड करें तथा सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के दिन ही निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर सामाजिक अंकेक्षण प्रभारी अधिकारी को प्रदान कर रसीद प्राप्त करें। संबंधित अधिकारी

प्रभारी अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण दल की रिपोर्ट अनुमोदित नवीन संशोधित प्रपत्र सं.8, ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अभिलिखित कार्यवाही विवरण नवीन संशोधित प्रपत्र सं.9 और प्रभारी अधिकारी अपनी रिपोर्ट्स नवीन प्रपत्र सं. 10 नवीन प्रपत्र सं. 11 एवं 15 वे वित्त आयोग के कार्यों की सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट उसके लिए निर्धारित प्रपत्र में अपलोड पश्चात् (निर्धारित प्रपत्रों) को ग्राम सभा आयोजन के अगले दिवस को जिला कलेक्टर कार्यालय एवं निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय जयपुर को ई-मेल आई.डी. Dydir.socialaudit@rajasthan.gov.in पर भेजेंगे।

17. इन दस्तावेजों को भौतिक रूप से एवं डिजिटल रूप से निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) कार्यालय में सुरक्षित रखा जावेगा।

जो सूचनाएं प्रपत्र-8,9,10,11 में संबंधित जिला प्रभारी अधिकारीगण से प्राप्त होगी संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय द्वारा प्रोग्रामर (SSAAT) तथा लेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण) के दिशा निर्देशन में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) मुख्यालय जयपुर को भेजेंगे।

D /calender latter

Raj/Kaj Ref No. : 3633173

Signature Valid

Designation / Secretary To Government
Date: 2023.05.10 17:41:03 IST
Reason: Approved



22. कानून व्यवस्था बाबत:- सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कई बार अंकेक्षण दल को डराने-धमकाने या अनुचित व्यवहार करने की शिकायत आती है। अतः सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम अनुसार कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक के पास भेजते हुए आवश्यकता होने पर सामाजिक अंकेक्षण के दौरान समुचित सुरक्षा बल उपलब्ध करवाने तथा सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में अनिवार्यतः पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित जिला कलेक्टर्स से अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करावें।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 61(272) ग्रावि/सा.अंके/निर्देश/2023-24/448-65

दिनांक: 10/05/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
02. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, श्रीमान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
05. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
06. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सम्पादन कराने हेतु।
07. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन/PMAY(G) डिविजन ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
08. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि बिन्दु संख्या 1 में अंकित ग्राम सभा के आयोजन की दिनांक को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित करने की अनुमति प्रदान करावें।
09. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा को भेजकर निवेदन है कि जारी कलैण्डर्स के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स अपलोड कराने, प्राप्त रिपोर्ट्स की अनुपालनाएँ भिजवाने और सम्पादित किये गये कार्य के मानदेय भुगतान अविलम्ब (ब्लॉक संसाधन व्यक्ति/ग्राम संसाधन व्यक्ति) को करवाकर रिपोर्ट निदेशक, SSAAT को भिजवाने हेतु जिलों को निर्देशित कराने का श्रम करें।
10. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, को भेजकर निवेदन है कि आवश्यकता होने पर सामाजिक अंकेक्षण दौरान समुचित सुरक्षा बल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जायें साथ ही ग्राम सभा के आयोजन की दिनांक को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुलिस व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित को पालनार्थ।
12. लोकपाल (नरेगा) जिला परिषद समस्त को सूचनार्थ एवं सामाजिक अंकेक्षण के अधिकार के रूप में कार्य सम्पादन हेतु।

D/calender latter

RajKaj Ref No. : 3633173

Signature valid
Digitally signed by Manju Rajpal
Designation/Secretary To
Government
Date: 2023.05.10 17:41:03 IST
Reason: Approved

